



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 162482

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26902 / 2026**

अंकुर एवं एक अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अवधेश कुमार मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : अरविंद कुमार, शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 68**

(क्रम संख्या 139 में से 13)

**माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल**

1. सूची का पुनरीक्षण किया गया।

2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार मिश्रा, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार की ओर से उनकी ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री विंध्येश्वरी प्रसाद तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री वी.के.एस. परमार को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

3. आवेदकगण ने विचारण लंबित रहने के दौरान मुकदमा अपराध संख्या 468 / 2026, भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 115(2), 118(1), 351(2), 352, 109(1), 3(5) तथा शस्त्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिनियम की धाराओं 4/25, थाना इंदिरापुरम, जनपद गाजियाबाद के अंतर्गत जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की है।

#### **अभियोजन की कहानी:**

4. आरोप है कि दिनांक 07.06.2026 को रात्रि 9:30 बजे से 10:00 बजे के बीच आवेदक ने सूचनाकर्ता के भाई पर चाकू से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप घायल व्यक्ति को अटलांटा अस्पताल, गाजियाबाद में भर्ती कराया गया और तत्पश्चात सूचनाकर्ता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

#### **आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्क**

5. आवेदकगण पूर्णतः निर्दोष हैं तथा उन्हें वर्तमान मामले में झूठा फँसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन घंटे से अधिक विलंब से दर्ज की गई है और उक्त विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

6. दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य एवं सर्वग्राही आरोप लगाए गए हैं, जबकि घायल व्यक्ति को केवल चाकू का एक घाव लगा है। यह सही है कि घायल व्यक्ति की कमर के निचले हिस्से में चाकू धँसा हुआ पाया गया था, किंतु उक्त चोट ही उसे लगी एकमात्र चोट थी और कहीं भी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि उक्त चोट किस व्यक्ति द्वारा पहुँचाई गई थी। अतः आवेदकगण जमानत पाने के अधिकारी हैं।

7. घायल व्यक्ति का उपचार केवल लगभग साढ़े तीन दिनों तक चला और उसके बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिससे यह संकेत मिलता है कि चोट गंभीर प्रकृति की नहीं थी। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण दिनांक 11.07.2026 से जेल में निरुद्ध हैं और विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। यदि आवेदकगण को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

#### **राज्य/सूचनाकर्ता की ओर से प्रस्तुत तर्क**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. चाकू घायल व्यक्ति के शरीर में धँसा हुआ पाया गया था, जिसे संबंधित चिकित्सक द्वारा निकालकर पुलिस को सौंप दिया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुए विलंब का स्पष्टीकरण दिया गया है, क्योंकि सूचनाकर्ता का सर्वोच्च कर्तव्य था कि वह अपने भाई को तत्काल अस्पताल लेकर जाए।

### निष्कर्ष

9. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य एवं सर्वग्राही आरोप हैं, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि आवेदकगण ने जमानत प्राप्त करने का मामला बनाया है।

अतः जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

10. उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में अभियुक्त **अंकुर एवं संदीप चौधरी** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-

- (i) आवेदकगण विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
- (ii) आवेदकगण अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगे और न ही उन्हें भयभीत करेंगे।
- (iii) आवेदकगण निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

11. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

आवेदकगण तथा जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास संबंधी प्रमाण-पत्रों का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व किया जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकगण को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

04 अगस्त, 2026

शालिनी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।